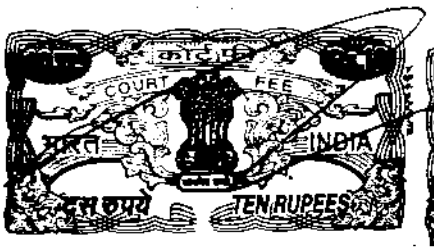

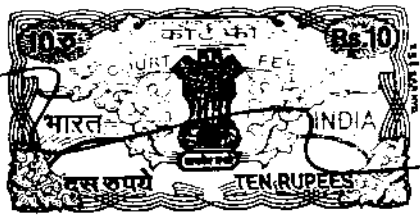

न्यायालय श्रीमान आयुक्त महोदय भोपाल संभाग भोपाल

प्रकरण क्रमांक /अपील/12-13

1. किशोर सिंह आत्मज चतर सिंह
   जाति - कीर
2. संजीव आत्मज दामजी
   जाति - गौंड
   दोनों निवासीगण - ग्राम कुमड़ी बिठौरी
   तहसील गौहरगंज जिला रायसेन
3. नारायण सिंह आत्मज श्याम सिंह
   जाति - गौंड
   निवासी - ग्राम नांदौरा
   तहसील गौहरगंज जिला रायसेन

................अपीलार्थीगण

विरूद्ध

1. मध्यप्रदेश शासन
2. श्री गौरेलाल आत्मज सरदार
   जाति - गौंड
3. हरिकिशन आत्मज रामलाल
   जाति - कोरकू
   निवासीगण - ग्राम कुमड़ी बिठौरी
   तहसील गौहरगंज जिला रायसेन

..........रेस्पोंडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 44(1) मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 28.2.2013 जिसकी संसूचना सर्वप्रथम दिनांक 10.4.2013 को अर्जित हुई अंतर्गत प्रकरण क्रमांक 24/स्व.निग./कले./10-11 पारित द्वारा न्यायालय कलेक्टर महोदय जिला रायसेन अंतर्गत धारा 182 (2) मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता पक्षकारगण मध्यप्रदेश शासन विरूद्ध गौरेलाल व अन्य

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग0 961–पीबीआर/2014 जिला रायसेन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12–6–2014	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । कलेक्टर रायसेन के आदेश दिनांक 28.2.2013 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । कलेक्टर द्वारा मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया जाकर, संहिता की धारा 182(2) एवं धारा 50 के अंतर्गत आदेश पारित किया गया है । आदेश की विषय वस्तु से स्पष्ट है कि वास्तव में कलेक्टर द्वारा संहिता की धारा 182(2) के अंतर्गत मूल आदेश पारित किया गया है । प्रकरण संहिता की धारा 50 के अंतर्गत स्वमेव निगरानी में दर्ज करने मात्र से कलेक्टर द्वारा निगरानी में आदेश पारित किया जाना मान्य नहीं किया जा सकता है । कलेक्टर द्वारा पारित मूल आदेश के विरूद्ध अपील सुनने का क्षेत्राधिकार अपर आयुक्त को है, परंतु अपर आयुक्त द्वारा कलेक्टर का आदेश निगरानी योग्य मान्य कर सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापिस करने में प्रथम दृष्टया त्रुटि की गई है । अतः प्रकरण अपर आयुक्त को गुणदोष पर निराकरण हेतु वापिस भेजा जाता है । (स्वदीप सिंह) अध्यक्ष	